



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082021-229055
CG-DL-E-16082021-229055

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3082]
No. 3082]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 2021/श्रावण 25, 1943
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 2021/SHRAVANA 25, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

का.आ. 3331(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2827(अ) तारीख 14 अगस्त, 2020 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख संख्या 2505 तारीख 20 अगस्त 2020, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्र प्रदेश राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 17 सितंबर, 2020 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल : गूती		जिला : अनंतपुरम्		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गूती	मामाडुरु	525/2	00	02
2			499/2	00	02
3			500/1	00	05
4			488/C	00	02
5			478/C	00	55
6			514/1	00	20
7			514/4	00	25
8			514/5	00	23
9			514/6	00	24
10			514/7	00	16
11			514/8	00	22
12			514/9	00	20
13	गूती	एरागुडी	79/A3	00	01
14			71/C	00	56
15			47	00	01
16			45	00	07
17	गूती	अनगनीदुडी	144	00	05
18			69	00	02
19			117/D	00	03
20	गूती	पेद्दोडी	491/A/1	00	01
21			157/2	00	01
22			37/B	00	05
23			37/A	00	02

24	गूती	रजापुरम	131/2	00	01
25			97/2A	00	01
26			97/1A	00	14
27	गूती	खोज्जेपल्ली	22/D	00	01

[फा. सं. आर.-11025(15)/10/2019-ओआर-I/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th August, 2021

S.O. 3331(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2827(E) dated 14th August 2020, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No.2505 dated the 20th August, 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 17 September, 2020.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal: Gooty		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
SL. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
				Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gooty	Mamaduru	525/2	00	02
2			499/2	00	02
3			500/1	00	05
4			488/C	00	02

5			478/C	00	55
6			514/1	00	20
7			514/4	00	25
8			514/5	00	23
9			514/6	00	24
10			514/7	00	16
11			514/8	00	22
12			514/9	00	20
13	Gooty	Erragudi	79/A3	00	01
14			71/C	00	56
15			47	00	01
16			45	00	07
17	Gooty	Aniganidoddi	144	00	05
18			69	00	02
19			117/D	00	03
20	Gooty	Peddoddi	491/A/1	00	01
21			157/2	00	01
22			37/B	00	05
23			37/A	00	02
24	Gooty	Rajapuram	131/2	00	01
25			97/2A	00	01
26			97/1A	00	14
27	Gooty	Khojjepalle	22/D	00	01

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2021

का.आ. 3332(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 907(अ) तारीख 24 फ़रवरी 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 836 तारीख 25 फ़रवरी 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में आंध्र प्रदेश राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतिया जनता को तारीख 25 मार्च 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

मंडल : गूती		जिला : अनंतपुरम्		राज्य : आंध्र प्रदेश	
क्रमांक	मंडल का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
				एकड़	सेंट्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	गूती	मामाडुरु	537	00	11
2			526/C	00	17
3			525/2	00	08
4			524/1	00	05
5			514/1	00	03
6			514/4	00	01
7			514/5	00	01
8			514/6	00	08
9			514/8	00	08
10			478/C	00	01
11			477/1 (कच्चा रास्ता)	00	01
12	गूती	एरागुडी	71/C	00	03
13			68	00	17
14			47	00	11
15			45	00	01
16	गूती	अनगनीदुडी	154/B	00	02
17			144	00	01
18			151	00	06
19			150/B	00	25
20	गूती	पेद्दोडी	136/A	00	02
21			37/A	00	22
22			47	00	03
23			36/E/B	00	19
24	गूती	मार्नेपल्ली	193/3	00	01
25	गूती	रजापुरम	131/1	00	03

26			133/1	00	01
27			117 (एन.एच-67)	00	06
28			105/2	00	03
29	गूती	खोजेपल्ली	173	00	06
30	गूती	बेतापल्ली	291	00	03
31			292/B	00	04
32			293/B	00	07
33			141	00	20
34			138/A	00	04
35			136/E	00	01
36			130/D	00	02
37			129	00	01
38			103	00	04
39			8	00	05

[फा. सं. आर.-11025(15)/10/2019-ओआर-I/ई-32252]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2021

S.O. 3332(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas and S.O.No.907(E) dated the 24th February 2021, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No. 836 dated the 25th February 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Andhra Pradesh for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 25 March 2021.

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and according to Section 13, no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government, Competent Authority or any State Government or Corporation for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Mandal: Gooty		Dist: Ananthapuramu		State: Andhra Pradesh	
SL. No	Name of the Mandal	Name of the Village	Survey No.	Area	
(1)	(2)	(3)	(4)	Acres	Cents
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Gooty	Mamaduru	537	00	11
2			526/C	00	17
3			525/2	00	08
4			524/1	00	05
5			514/1	00	03
6			514/4	00	01
7			514/5	00	01
8			514/6	00	08
9			514/8	00	08
10			478/C	00	01
11			477/1(Cart track)	00	01
12	Gooty	Erragudi	71/C	00	03
13			68	00	17
14			47	00	11
15			45	00	01
16	Gooty	Aniganidoddi	154/B	00	02
17			144	00	01
18			151	00	06
19			150/B	00	25
20	Gooty	Peddoddi	136/A	00	02
21			37/A	00	22
22			47	00	03
23			36/E/B	00	19
24	Gooty	Marnepalle	193/3	00	01
25	Gooty	Rajapuram	131/1	00	03
26			133/1	00	01
27			117 (NH-67)	00	06
28			105/2	00	03
29	Gooty	Khojjepalle	173	00	06
30	Gooty	Bethapalle	291	00	03
31			292/B	00	04
32			293/B	00	07
33			141	00	20
34			138/A	00	04
35			136/E	00	01
36			130/D	00	02
37			129	00	01
38			103	00	04
39			8	00	05

[F. No. R-11025(15)/10/2019-OR-I/E-32252]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.